सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

श्रावण 22, शुक्रवार, शाके 1943–अगस्त 13, 2021
Sravana 22, Friday, Saka 1943- August 13, 2021

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 12, 2021

संख्या एफ.15(25)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन (पार्ट)/2020/715 :–स्वायत्त शासन विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक 2285 दिनांक 20.07.2021 के द्वारा नगर पालिका लालगढ जाटान, जिला श्रीगंगानगर के संबंध में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 1485 दिनांक 25.3.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए सैनिक छावनी एरिया, 10 एलएलजी, 19 एसडीएस, 21 एसडीएस व 7 एलएलजी (ब्लॉक संख्या 194, 119, 116 व 220) की सीमा होने से नगर पालिका लालगढ जाटान से पृथक कर दिया गया है ।

अतः ग्राम पंचायत लालगढ जाटान के सैनिक छावनी एरिया, 10 एलएलजी, 19 एसडीएस, 21 एसडीएस व 7 एलएलजी (ब्लॉक संख्या 194, 119, 116 व 220) की सीमा को पुनः पंचायती राज संस्थाओं/ग्राम पंचायतों की सीमाओं में सम्मिलित करने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या–13) की धारा–98 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा–101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के पश्चात् तैयार किये गये प्रस्तावों को राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के लिये अधिकृत किया जाता है।

आज्ञा से,
मंजू राजपाल,
शासन सचिव।

3953
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।